पेश हो

राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर

16.1.19 यह पत्रावली अतिरिक्त सी.एम.ए.एम. के द्वारा प्राप्त पेश किये जाने के कारण पेशी में ली गई। अति. अपीलार्थी ने प्रार्थना प्रस्तुत कर कथन किया कि पत्रावली के समय नहीं सलीमा होने से अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं और अपील का निस्तारण अन्य ही किया जावें। अपीलार्थी स्वयं उपस्थित और अपने आधार कार्ड की छाया प्रति स्वयं सत्यापित की हुई पेश की।

Adv.
16/1/19

अति. अपीलार्थी व अपीलार्थी अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं इसलिए अपील नहीं चलाये जाने से खारिज करना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलार्थी आगे नहीं चलाये जाने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर